

पत्रावली सं०.....२५/२०२.....सरकार बनाम.....सुप्रदेव सिंह.....

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
15/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>सुप्रदेव सिंह</u> पुत्र श्री <u>काका सिंह</u> जाति <u>प्रजापति</u> निवासी <u>बसवावा</u> में फसल <u>रबी/खरीफ</u> सन्वत्/सन् <u>२०१७</u> में गांव/चक नं० <u>५ BWSM</u> के मु० नं० <u>२१</u> में <u>बीघा</u> सिंचित व <u>१.०१२</u> असिंचित कुल <u>१.०१२</u> बीघा बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्रनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जप्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>५० गुना</u> गुणा पेनल्टी राशि <u>₹० ५०५</u> अखरे <u>₹०</u> मात्र अधिशेषित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्रनगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p>	

वर्ष २०२०-२०२१ के बीच रजिस्टर
 पुस्त संख्या २११
 फसल दिनांक ११
 की भांज अर्थात्
 तहसील राजस्थान के कार्यालय

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।
 ५०५

उप तहसीलदार
 तहसीलद्वारे (राजस्थान)
 जिला राजस्थान